...य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
53/22	212 RTA	हनुमतखेड़ा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
गुड्डीबाई वगै.	बनाम	गोलू वगै.

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

8/7/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। ग्राम ~~हनुमत खेड़ा~~ ककरवा तहसील छबड़ा की आराजी खाता सं. 61 के ख.नं. 38 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 39 रकबा 3.07 बीघा, खसरा नं. 41 रकबा 3.01 बीघा, खसरा नं. 92 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नं. 119 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 130 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 145 रकबा 3.09 बीघा, खसरा नं. 153 रकबा 4.01 बीघा, खसरा नं. 166 रकबा 13.12 बीघा कुल किता 9 रकबा 31.02 बीघा भूमि में प्रार्थी/वादी क्रम 1 का हि. 3/44 एवं प्रार्थी/वादी क्रम 2 के हिस्से 2/22 के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिवादी गणों को जवाब पेश होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/वादी क्रम 1 व 2 के कबजे काश्त आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारां (राज.)

22/8/22

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 27/9/22 को पेश हो।

आदेश
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

27/9/22

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 22/11/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
14.8.24	प्राक पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 20.8.24 .. को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा,
20.8.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप। जवाबुल जवाब/जवाब प्रा. पत्र पेश नही हुआ। समय चाहते है। पूर्व स्थगन आदेश यथावत। पत्रावली वास्ते जवाबुल जवाब/जवाब प्रा. पत्र दिनांक 17.9.24 को पेश हो।
17.9.24	प्राक पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनाक 8.10.24 .. को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा,
8.10.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप. जवाब प्रा. पत्र पेश नही हुआ समय चाहते है पत्रावली वास्ते जवाब प्रा. पत्र दिनांक 21.10.24 को पेश हो।
21.10.24	पत्रावली पेश हुई वकुलाय फरीकेन उप. वादी का वाद खातेदारो के विरुद्ध अन्तोष चाहते पर एवं तमाम सह खातेदारो को पक्षकार नही बनाने पर वादी का वाद चलने योग्य नही होने पर खारिज किया जा चुका है। इस प्रकरण मे किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है पत्रावली नतीजा शुमार होकर वास्ते तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।